रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 13 अप्रैल, 1976

चैत्र, 24, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1648/सत्रह-वि-1--167-75

लखनऊ, 13 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 12 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ, इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3. 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

चलचित्र प्रदर्शन द्वारा और सार्वजनिक स्थानों में दीवालों, भवनों तथा विज्ञापन-पटों पर मादक पान के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करने तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएं

2--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "विज्ञापन" के अन्तर्गत कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल, टाइप किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ या रंग से तैयार किया हुआ पदार्थ या रेखांकन या चित्रांकन है और ऐसे पदार्थ, रेखांकन या चित्रांकन का किसी सार्वजनिक स्थान में किसी दीवाल, भवन या विज्ञापन-पट पर वितरण या प्रदर्शन अथवा चलचित्र प्रदर्शन, निऑन साइन या अन्य प्रकार से प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न या प्रसारित करके प्रख्यापन भी है ;

(ख) "आबकारी निरीक्षक" या अन्य "आबकारी अधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 10 के अधीन नियुक्त आबकारी निरीक्षक या अन्य आबकारी अधिकारी से है ;

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम संख्या 4 1910

(ग) "मादक पान" के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में यथा परिभाषित औषधि नहीं है।

अधिनियम संख्या 23 1940

मादक पान संबंधी विज्ञापनों का प्रतिषेध

3--कोई भी व्यक्ति किसी मादक पान के उपयोग के लिए निवेदन या उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत करने वाला कोई विज्ञापन न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित करायेगा।

स्पष्टीकरण--किसी ऐसे भू-गृहादि में, जहां मादक पान बनाया या बेचा जाता हो या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, किसी ऐसे साइन बोर्ड को, जिस पर केवल यह इंगित हो कि उस भू-गृहादि में ऐसा मादक पान बनाया या बेचा जाता है या बेचने के लिये प्रस्तुत किया जाता है, और ऐसे भू-गृहादि में रखे गये या अनुरक्षित ऐसी मादक पान के सूचीपत्र या मूल्य-सूची को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन नहीं माना जायगा।

उपधारणा

4--जहां धारा 3 का उल्लंघन करके मादक पान संबंधी कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो, वहां यह उपधारणा की जायगी कि जब तक इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, जिस व्यक्ति की ओर से उसका प्रकाशन अभिप्रेत है, उस व्यक्ति ने उस विज्ञापन को प्रकाशित किया या कराया है।

सारवान वस्तुओं का जिसमें प्रकाशित विज्ञापन हो, निरीक्षण और अभिग्रहण करने की शक्ति

5--(1) इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो,--

(क) किसी ऐसे स्थान में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जिन्हें वह आवश्यक समझे, किसी समय जो युक्तियुक्त हो, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है ;

(ख) किसी विज्ञापन के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किसी वस्तु को जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है, अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है ;

(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाये गये किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या कोई अन्य सारवान वस्तु की, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किये जाने का साक्ष्य मिल सकता है, परीक्षा कर सकता है और उसे अभिगृहीत कर सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत करता है, वहां ऐसे अभिग्रहण की सूचना तुरन्त मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, और उसकी अभिरक्षा और निस्तारण के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 34 के उपबन्ध, उसमें निर्दिष्ट सम्पत्ति पर जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे।

अधिनियम संख्या 1973

शास्ति

6--धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष होने पर कारावास का, जो छः मास तक का हो सकता है, अथवा जुर्माना का, अथवा दोनों दंड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

7--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दंड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का अन्वेषण

8—(1) कोई आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है, जो उस क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत किया गया हो, जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, और ऐसे अन्वेषण के बारे में उसकी शक्ति वही होगी, जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय मामले में होती है और वह विशेषतया किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उक्त अन्वेषण कर सकता है।

अधिनियम संख्या 2, 1974

(2) अन्य बातों में, गिरफ्तारी, तलाशी, तलाशी वारंट, गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी और अपराधों के अन्वेषण से संबंधित उक्त संहिता के उपबन्ध, यथासम्भव, इस अधिनियम के अधीन उनके संबंध में की गई सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये परित्राण

9—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अपराधों का शमन करने की शक्ति

10—(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिये, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि उस व्यक्ति ने किया है, शमन स्वरूप ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, ले सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) इस धारा के उपबन्ध वहां भी लागू होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन या किसी अपराध के लिए दोष-सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो, और ऐसे मामले में इस धारा के अधीन ऐसे अपराध के शमन के फलस्वरूप वह अभियक्त, जिसके प्रति अपराध का शमन किया जाय, दोष मुक्त हो जायगा।

नियम बनाने की शक्ति

11—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1976

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 33, 1975

(2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

No. 1648(2)/XVII-V—1-167-75

Dated Lucknow, April 13, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madak Pan (Apattijanak Vigyapan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 12, 1976:

THE UTTAR PRADESH INTOXICATING LIQUOR (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) ACT, 1976

(U. P. Act No. 3 of 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to prohibit the advertisement of liquor by cinematographic exhibition and on walls, buildings and hoardings in public places, and to provide for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Intoxicating Liquor (Objectionable Advertisements) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on November 1, 1975.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(*a*) "advertisement" includes any printed, cyclostyled, type-written, hand-written or painted matter or a design or pictorial representation and also includes the distribution or display of such matter, design or representation on any wall, building or hoarding in a public place or an announcement by means of producing or transmitting light or sound, whether by cinematographic exhibition, neon signs or otherwise;

(*b*) "Excise Inspector" or other "Excise Officer" means an Excise Inspector or other Excise Officer appointed under section 10 of the United Provinces Excise Act, 1910; U.P. Act of 1910.

(*c*) "intoxicating liquor" does not include a drug as defined in the Drugs and Cosmetics Act, 1940. Act XX of 19

Prohibition of advertisements relating to liquor.

3. No person shall publish or cause to be published any advertisement which solicits the use of, or offers for sale any intoxicating liquor.

Explanation—A sign-board on any premises in which intoxicating liquor is manufactured or sold or offered for sale indicating merely that such liquor is manufactured, or sold or offered for sale in those premises, and any catalogue or price list of such liquor kept or maintained in such premises, shall not amount to the publication of such an advertisement.

Presumption.

4. Where any advertisement relating to an intoxicating liquor has been published in contravention of section 3, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that the person on whose behalf it purports to have been published is the person who has published it or caused it to be published.

Power of inspection and seizure of material object containing published advertisements,

5. (1) Subject to the provisions of any rules made in this behalf, any Excise Officer not below the rank of Excise Inspector may—

(*a*) enter and search at all reasonable times with such assistance, if any, as he considers necessary, any place in which he has reason to believe that an offence punishable under this Act has been or is being committed;

(*b*) seize and detain any article used for purposes of an advertisement which he has reason to believe contravenes any of the provisions of this Act;

(c) examine any record, register, document or any other material object found in any place mentioned in clause (a) and seize the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act.

(2) Where any officer seizes any property under sub-section (1) such seizure shall be reported to a Magistrate forthwith, and the provisions of Chapter XXXIV of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply to the custody and disposal thereof as they apply to property referred to therein.

Act 2 of 1974.

6. Any person who contravenes the provisions of section 3 shall, on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both. **Penalty.**

7. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in-charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly : **Offences by companies.**

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretary, treasurer, director, manager, or other officer of the company such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

8. (1) An Excise Officer not below the rank of Excise Inspector may investigate any offence under this Act committed within the limits of the area in which he exercises jurisdiction and shall have in respect of such investigation the same powers as an officer-in-charge of a police station has in a cognizable case under the provisions of Chapter XII of the Code of Criminal Procedure, 1973 and may in particular make such investigation without an order of a Magistrate. **Investigation of offence.**

Act 2 of 1974.

(2) In other respects, the provisions of the said Code relating to arrests, searches, search warrants, production of persons arrested and investigation of offences shall, so far as may be, apply to all actions taken in these respects under this Act.

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act. **Protection of action taken in good faith.**

10. (1) The District Magistrate may accept from any person, against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under this Act such sum of money as he thinks fit by way of composition for the offence which such person is suspected to have committed. **Power to compound offences.**

(2) On the payment of such sum of money to the District Magistrate, the suspected person, if in custody, shall be discharged and no other proceedings shall be taken against him.

(3) The provisions of this section shall apply also where a prosecution or an appeal against conviction of an offence under this Act is pending, and in such a case the composition of such an offence under this section shall have the effect of acquittal of an accused with whom the offence has been compounded.

Power to make rules.

11. The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Repeal and Savings.

12. (1) The Uttar Pradesh Intoxicating Liquor (Objectionable Advertisements) Ordinance, 1976, is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 6 of 1976.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Intoxicating Liquor (Objectionable Advertisements) Ordinance, 1975 by the aforesaid Ordinance of 1976 anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act were in force at all material times. U. P. Ordinance no. 33 of 1975.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू०पी०--ए०पी०--28 सा० विधायिका--1976--650--(मेक०)।